सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 132/2017

बउनवान

नवीन गालव पुत्र रतनलाल जाति गालव ब्राह्मण निवास केशोली तहसील छबड़ा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 13.3.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 392/2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम केशोली की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर की रकबा 2.0 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 100/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 06.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सूचना दिये बिना तथा अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना, सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना, स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना, पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अतिक्रमण की जाने वाली आराजी का खसरा नंबर भी अंकित नही किया है, जिससे यह मालूम हो सके कि उक्त कथित अतिक्रमण की आराजी कौनसी है एवं उसका मालिक कौन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानकर सजायाब किये जाने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साइक्लोस्टाइल प्रोफार्मा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर निर्णय पारित किया है, जो तर्कपूर्ण एवं विधि संगत निर्णय परिधि में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे अपीलांट को उक्त वर्णित आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण रहा

हो एवं उसे भौतिक रूप बेदखल किया गया हो ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चातवर्ती होना प्रमाणित नही है, फिर भी अपीलांट को कारावास की सजा से दण्डित कर, निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का किसी सरकारी आराजी पर अतिक्रमण नही है, और ना ही सरकारी जमीन पर फसल सोयाबीन की है तथा वर्तमान में उक्त सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलांट से हल्का पटवारी के द्वारा गिरफ्तार करने की धमकी देकर उक्त निर्णय की पालनार्थ में गलत रूप से 9850/—रूपये दिनांक 22.11.2017 को जमा करवाया गया है। अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नही है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.11.2017 को हुयी, इसके बाद दिनांक 25.11.2017 को आवेदन पेश कर दिनांक 30.11.2017 के नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष सम्वत् 2073 में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 392/2017 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत बउनवान सरकार बनाम नवीन मे पारित निर्णय दिनांक 7.11.2017 मे जिस भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है उसका खसरा नम्बर अंकित नही किया गया है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 392/2017 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम नवीन में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 निरस्त किया जाकर, इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त आदेश मे अतिक्रमित भूमि का खसरा नम्बर अंकित नही किया गया है, जिसकी जांच की जाकर, खसरा नम्बर अंकित कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां